उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या 13/34-90-का-1-2010
लखनऊ, 12 अगस्त, 2010

दिनांक 12 अगस्त, 2010 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(4) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

(5) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

(6) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(7) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
नन्दलाल प्रसाद,
अनु सचिव।

क्रम-संख्या—245

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०—
डब्लू०/एन०पी०—91/2008—10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 अगस्त, 2010

श्रावण 21, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग—1

संख्या 13/34/90-का-1-2010

लखनऊ, 12 अगस्त, 2010

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०—46

संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) नियमावली, 1994 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) नियमावली, 1994 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात् :—

	स्तम्भ—1 विद्यमान नियम		स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड	4. विभागाध्यक्ष के पद पर, विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के पद पर और किसी	पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड	4.	विभागाध्यक्ष के पद पर, विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के पद पर और किसी

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सेवा के ऐसे पद, जिनके वेतनमान का अधिकतम 18,300/– रुपया या इससे अधिक हो, पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर की जायगी, और सभी सेवाओं के पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष पदों, जिसमें ऐसा पद, जहाँ पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से किसी राजपत्रित पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाय, भी सम्मिलित है, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।	सेवा के ऐसे पद पर, जिनके वेतन बैण्ड–4 (रु0 37400–67000) और ग्रेड वेतन रु0 8700/– या इससे अधिक हो, पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर की जायगी, और सभी सेवाओं के पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष पदों, जिसमें ऐसा पद, जहाँ पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से किसी राजपत्रित पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाय, भी सम्मिलित है, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

आज्ञा से,

कुँवर फतेह बहादुर,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/XXXIV/90-Ka-1-2010, dated August 12, 2010 :

No. 13/XXXIV/90-Ka-1–2010

Dated Lucknow, August 12, 2010

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for recruitment by Promotion rules, 1994.

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS CRITERION FOR RECRUITMENT BY PROMOTION (THIRD AMENDMENT) RULES, 2010

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion (Third Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 4

2. In the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for recruitment by Promotion Rules, 1994, *for* existing rule-4 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:–

	COLUMN-1 *Existing Rule*		COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Criterion Recruitment by Promotion	4. Recruitment by promotion to the post of Head of Department, to a post just one	**Criterion Recruitment by Promotion**	4. Recruitment by promotion to the post of Head of Department, to a post just

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Rule	*Rule as hereby substituted*
rank below the Head of Department and to a post in any service carrying the pay scale the maximum of which is Rs. 18,300/- or above shall be made on the basis of merit, and to the rest of the posts in all services to be filled by promotion, including a post where promotion is made from a non-*Gazetted* post to a *Gazetted* post or from one service to another service, shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.	rank below the Head of Department and to a post in any service carrying the pay Band-4 (Rs. 37400-67000) and Grade Pay Rs. 8700/- or above shall be made on the basis of merit, and to the rest of the posts in all services to be filled by promotion, including a post where promotion is made from a non-*Gazetted* post to a *Gazetted* post or from one service, to another service, shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.

By order,

KUNWAR FATEH BAHADUR,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 366 राजपत्र–(हिन्दी)–2010–(829) 599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 4 सा० नियुक्ति–2010–(830) 4,000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।